(ख) क्या यह सच है कि सरकार इनसभी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सभी कर्मचारियों को जनगणना विभाग के नियंत्रणाधीन विवाह पंजीकरण अधिनियम विभाग में समाहित करने की व्यवस्था करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) चैकर–635 (छः सौ पैंतीस) और टेबूलेटर–3823 (तीन हजार आठ सौ तेईस) ।

(ख) जी हां, श्रीमान । इन नियत वेतन अस्थायी कर्मचारियों की सेवायें 31–3–1982 के बाद से समाप्त कर दी गई है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान । चूंकि जनगणना संगठन के अधीन कोई विवाह पंजीकरण विभाग नहीं है

एस्कार्ट्स लिमिटेड के एकक

7766. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एस्कार्ट्स लिमिटेड, 18/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरियाणा) में कितने एकक कार्यरत है और वे क्या क्या चीजें बना रहे हैं और क्या यह फर्म किसी और फर्म की सहायता से गठित की गई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष वार इस फर्म द्वारा कितने ट्रैक्टर बनाये गये ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस फर्म के ट्रैक्टर की उत्पादन लागत बहुत कम है परन्तु मूल्यों में बहुत वृद्धि की गई है और क्या सरकार इस फर्म को क लाभ देकर ट्रैक्टर बेचने हतु अनुदेश देगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मैं० एस्कार्ट्स लि० के इस समय परस्पर संबंध पांच इकाइयां हैं जो एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और मिट्टी हटाने के उपकरणों, कृषि ट्रैक्टरों, दुपहियों, एक्सरे उपकरणों, मोटरगाड़ियों के सहायक सामान इत्यादि का निर्माण करती है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में मैं० एस्कार्ट्स लि० द्वारा ट्रैक्टरों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

1979	12,243 नग
1980	11,295 नग
1981	13,480 नग

(ग) मैं० एस्कार्ट्स लि० द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों के मूल्य अन्य यूनिटों द्वारा निर्मित इतनी ही अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों के मूल्यों की तुलना में सवर्था अनुकूल है। इस समय बाजार में अनेक मेकों के ट्रैक्टर उपलब्ध है और ट्रैक्टरों का मूल्य निर्धारण बाजार की आपसी गतिविधियों द्वारा भी विनियमित होता है। ट्रैक्टरों की कीमतों पर कानूनी नियंत्रण नहीं हैं ।

Atrocities on Harijans and adivasis in West Bengal

7767. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state: